नदियोंके बांध और बिजली

रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स नं० १५

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९ सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई अंक २४

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १३ अगस्त, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

स्वतंत्र भारतमें अुच्च शिक्षा

१

अुच्च शिक्षाको खानगी प्रयत्नों तथा राष्ट्रकी आवश्यकताओं पर छोड़ दिया जाय। अिसमें कअी प्रकारके अुद्योग और अुनसे सम्बन्ध रखनेवाली कलायें, साहित्य, संगीत, चित्रकला, शास्त्रादि शामिल समझे जायं।

सरकारी विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेनेवाली संस्थायें रहें और वे अपना खर्च परीक्षा-शुल्कसे ही निकाल लिया करें।

विश्वविद्यालय शिक्षाके समस्त क्षेत्रका ध्यान रखें और अुसके विविध विभागोंके लिअे पाठ्यक्रम तैयार करें और अुसे स्वीकृति दें। किसी भी विषयकी शिक्षा देनेवाला अेक भी स्कूल तब तक नहीं खुलेगा, जब तक कि वह अिसके लिअे अपने क्षेत्रसे संबंध रखनेवाले विश्वविद्यालयसे मंजूरी हासिल नहीं कर लेगा।

विश्वविद्यालय खोलनेकी अिजाजत (चार्टर) सुयोग्य और प्रामाणिक किसी भी अैसी संस्थाको अुदारतापूर्वक दी जा सकती है, जिसके सदस्योंकी योग्यता और प्रामाणिकताके विषयमें कोअी सन्देह न हो। हां, यह सबको बता दिया जाय कि राज्य पर अुसका जरा भी खर्च नहीं पड़ना चाहिये, सिवा अिसके कि वह केवल अेक केन्द्रीय शिक्षा-विभागका खर्च अुठायेगा। राज्यकी विशेष आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिअे किसी खास प्रकारकी शिक्षा-संस्था या विद्यालय खोलनेकी जरूरत अुसे पड़ जाय, तो यह योजना राज्यको अिस जिम्मेदारीसे मुक्त नहीं कर रही है।

अगर यह सारी योजना (अर्थात् बुनियादी शिक्षाकी संपूर्ण योजना—संपा०) स्वीकृत हो जाय, तो मेरा यह दावा है कि हमारी अेक सबसे बड़ी समस्या — राज्यके युवकोंको, अपने भावी निर्माताओंको तैयार करनेकी — हल हो जायगी।*

२

हालांकि हम सियासी दृष्टिसे आजाद हैं, फिर भी पश्चिमके प्रभावसे अभी आजाद नहीं हुअे हैं। मुझे अुन राजनीतिज्ञोंसे कुछ नहीं कहना है, जो यह मानते हैं कि पश्चिममें ही सब कुछ है और हर तरहका ज्ञान वहींसे मिल सकता है। न मेरा यही विश्वास है कि पश्चिमसे हमें कोअी अच्छी चीज मिल ही नहीं सकती। वहां क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह समझने लायक प्रगति अभी हमने नहीं की है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि परदेशी हुकूमतसे आजाद हो गये हैं, अिसलिअे हम परदेशी भाषा या परदेशी विचारोंके असरसे भी आजाद हो गये हैं। क्या यह समझदारीकी बात नहीं होगी, क्या देशके प्रति हमारे कर्तव्यका यह तकाजा नहीं है कि नये विश्वविद्यालय कायम करनेसे पहले हम थोड़ी देर ठहरें और अपनी नयी मिली हुअी आजादीके जीवनदायी वातावरणमें कुछ सोचें? विश्वविद्यालय सिर्फ पैसेसे या बड़ी-बड़ी अिमारतोंसे नहीं बनते। विश्वविद्यालयोंके पीछे जनताकी जाग्रत रायका होना बहुत जरूरी है। अुनके लिअे पढ़ानेवाले योग्य शिक्षकोंकी जरूरत है। अुनके संस्थापकोंमें काफी दूरंदेशी होनी चाहिये।

मेरे विचारसे विश्वविद्यालय कायम करनेके लिअे पैसेका प्रबन्ध करनेका काम लोकशाही हुकूमतका नहीं है। अगर लोग विश्वविद्यालय कायम करना चाहेंगे, तो वे अुनके लिअे पैसे भी देंगे। लोगोंके पैसेसे कायम किये जानेवाले विश्वविद्यालय देशकी शोभा बढ़ायेंगे। जिस देशका राजकाज विदेशियोंके हाथमें होता है, वहां सब कुछ अूपरसे टपकता है और अिसलिअे लोग दिनोंदिन पराधीन बनते जाते हैं। जहां जनताकी हुकूमत होती है, वहां हर चीज नीचेसे अूपर अुठती है; अिसलिअे वह टिकती है, शोभा पाती है और लोगोंकी शक्तिको बढ़ाती है। जिस तरह अच्छी जमीनमें बोया हुआ बीज दस गुनी अुपज देता है, अुसी तरह विद्याकी अुन्नतिके लिअे खर्च किया हुआ पैसा कअी गुना लाभ पहुंचाता है। विदेशी हुकूमतके मातहत कायम किये गये विश्वविद्यालयोंने अिससे अुलटा काम किया है। अुनका दूसरा कोअी नतीजा हो भी नहीं सकता था। अिसलिअे हिन्दुस्तान जब तक नयी मिली हुअी आजादीको अच्छी तरह पचा नहीं लेता, तब तक नये विश्वविद्यालय कायम करनेमें मुझे बड़ा डर मालूम होता है।

हरिजनसेवक, २-११-'४७; पृ० ३३२

गांधीजी

* बुनियादी शिक्षा — गांधीजी; पृ० ५२।

www.vinoba.in

रेलोंमें भ्रष्टाचार

गोरखपुरसे अेक सज्जन अिस विषयमें लिखते हैं:

"अुत्तर प्रदेशके दैनिक 'नवजीवन' (१९ जुलाअी, १९५५) के पृष्ठ ४ पर पढ़ा कि "रेलोंमें भ्रष्टाचारकी रोक-थाम आवश्यक है, रेलवे भ्रष्टाचार जांच समितिकी रिपोर्ट" — "भ्रष्टाचार राष्ट्रीय चरित्रके लिअे कलंक" है। देशके सामने यह रिपोर्ट कोअी नयी नहीं है। घूसखोरी कहां नहीं है, यह बात सब पर भलीभांति प्रकट है। फिर भी रिश्वत लेनेवाले और देनेवाले व्यक्तियोंकी रफ्तारमें कोअी परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि हमारे पूज्य राजाजीने मद्रासमें जनवरी-फरवरी १९५४ में अपने भाषणमें कहा था कि घूस लेनेवाला चोर नहीं है बल्कि घूस देनेवाला बड़ा चोर है। अिस बातसे यह प्रकट है कि घूस देनेवालोंकी बड़ी संख्या व्यापारियों तथा ठेकेदारोंकी है। अिन लोगोंने लड़ाअीके समयसे काले बाजार द्वारा काफी धन अिकट्ठा कर लिया है, जिसका

परिणाम यह है कि अिन लोगोंको अपना काम सिद्ध करनेके लिअे कितना ही पैसा व्यय क्यों न करना पड़े — कोअी चिन्ता नहीं रहती। अैसे लोगोंने प्रत्येक मार्गमें घूसखोरीका कांटा बिछा दिया है जिसके परिणामस्वरूप अुस मार्गको आसानीसे पार करने व कांटेकी अुलझनसे बचनेके लिअे हर छोटे-बड़ेको घूसके रूपमें कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है। यदि अैसे लोग अपने व्यवहारमें परिवर्तन करें और चरित्रवान बननेका प्रयत्न करें तो देश और समाज दोनोंका कल्याण हो सकता है।

"मैं अपने जीवनके कुछ अनुभवोंको अिस सिलसिलेमें लिखना अुचित समझता हूं। वह यह कि बी०अेन० डब्ल्यू० आर०, ओ० टी० आर० (अब अेन० अी० आर०) का मुख्य केन्द्र गोरखपुर रहा है और अब भी है। अुन दिनोंमें मैंने देखा कि जो क्लर्क अपने जीवनभर सिवाय धोती और पाजामेके और कुछ नहीं पहिनते थे वे पदोन्नति होने पर पहला काम जो करते थे वह था सूट पहिनना। अिसकी कद्र अुनके अफसर करते थे। वहां तक तो अुचित था, क्योंकि वह अंग्रेजोंका जमाना था। किन्तु आज भी क्या देखा जाता है कि अपने देशी अफसर जो कि पूरे हिन्दुस्तानी हैं अुनके दिल और दिमागसे अंग्रेजियत अभी भी नहीं गयी है। अिसका परिणाम यह है कि रु० ५५–१३० और रु० ८०–१६० के अधिकतर कर्मचारी दर्जनों सूट बनवाकर अपने अुपयोगमें लाते हैं। क्या यह अुनकी कमाअीका सच्चा पैसा है? अिसके अतिरिक्त स्टेशनों और रेलोंमें कार्य करनेवाले अधिकारी जिनका वेतन २०० से कम या अुसके लगभग होता है, वे भी बड़े ठाठबाटसे रहते हैं तथा शादी-विवाहके अवसरों पर आठ-दस हजार या अुससे अधिक खर्च करना अुन लोगोंके लिअे मामूलीसी बात है। यह बात हर आदमी जानता और रोज देखता है। क्या यह खर्च वेतनकी कमाअीसे होता है? मुझे पूर्वोत्तर रेलवेके अुस अफसरकी बात याद आ गअी, जो आज भी अेक विभागीय अध्यक्ष है। मैं अुसके सामने चुड़ीदार पाजामा और बन्द गलेका कोट पहिने हुअे गया तो अुसने यह टिप्पणी की कि यह पोशाक अब जलील समझी जाती है, जिसके अुत्तरमें मैंने केवल यही कहा कि मैंने अंग्रेजी पोशाक यानी सूट-बूट आदि न पहननेकी प्रतिज्ञा ली है। अुन्होंने मुझे बताया कि 'मैं जब लाहौरमें था तो शेरवानी पहने हुअे दफ्तरमें गया। अुसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अंग्रेज अफसरोंने मेरे 'पर्सनल केस' को खराब कर दिया। तभीसे मैं सूट पहिनने लगा।' यह हजरत १६००) प्रतिमाह पाते हैं और अुनके दो लड़के अमेरिकामें पढ़ते हैं। यहां पर मोटर और बंगलेका ठाठ-बाट निराला है। तो क्या अिस बातको हरअेक आदमी आसानीसे नहीं समझ सकता कि यह सब काम १६००) के अन्दर ही कैसे हो जाता है? अिस तरहकी बहुतसी मिसालें हैं जिनकी जानकारी यदि की जावे तो अिस प्रकारके सब अपराधियोंको पकड़ना आसान हो जावे और अफसरोंको अैसी हिदायतें हों कि अिस बदलते हुअे युगमें सूट-बूटकी कोअी कद्र नहीं है। अिन बातों पर ध्यान देते हुअे मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपना विचार अपने पत्र द्वारा रेलवे बोर्डके सामने रखनेकी कृपा करें।"

आपका कहना बिलकुल साफ और सही है। और कोअी आलोचनाकी जरूरत नहीं।

१–८–'५५ म० प्र०

नये समाजकी नींव — ग्रामोद्योग

[ता० १०–७–'५५ को रोहतक (पंजाबमें) भूदान-शिविरमें दिये गये व्याख्यानसे।]

हम यह न समझें कि परिवारके पीछे ५ अेकड़ जमीन देनेसे ही समस्या हल हो गयी। लोगोंके पास पहले भी तो जमीन थी। लेकिन सुशासनके अभावमें, अपनी बुरी आदतोंके कारण, और अपनी जरूरतोंकी पूर्तिके लिअे शहरों पर निर्भर रहनेके फलस्वरूप वे अितने गरीब हो गये कि अब दो जून भोजन प्राप्त करना भी अुनके लिअे अेक समस्या बन गयी है। गांधीजीने हमसे कहा था कि गांवका हरअेक घर अेक अैसा कारखाना बने जिसके द्वारा गांवकी जरूरतकी सारी चीजें गांवमें ही पैदा हो सकें और गांवका हर परिवार आर्थिक दृष्टिसे स्वावलंबी बन सके। वैज्ञानिक प्रगतिके अिस जमानेमें हमारे शिक्षित भाअी अिस बात पर बहुत जोर देते हैं कि देशका तेजीसे औद्योगीकरण होना चाहिये। लेकिन अपनी औद्योगीकरणकी योजनामें वे ग्रामोद्योगोंको कोअी स्थान नहीं देते। औद्योगीकरणके अिन नासमझ समर्थकोंकी अक्लमें यह बात आती ही नहीं कि ग्रामोद्योगोंसे औद्योगीकरण घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही है। हां, अिनसे थोड़ा-सा फर्क यह जरूर होता है कि ग्रामोद्योगोंके जरिये हम गांवके हरअेक घरका औद्योगीकरण करके अुसको स्वावलंबी बनानेकी कोशिश करते हैं और जिस ग्रामीण सभ्यताका भारतको गर्व है, अुसकी पवित्रताको नष्ट करनेवाले शहरी जीवनसे अुनका संबंध-विच्छेद करनेका प्रयास करते हैं। वास्तवमें यही हमारे सर्वोदयका अूंचा और महान् आदर्श है जो हमें गांधीजीसे प्राप्त हुआ है और जो अुस नये समाजका लक्ष्य है जिसकी हम स्थापना करना चाहते हैं।

('भूदान-यज्ञ', ९–७–'५५ से) जे० बी० कृपालानी

बुनियादी शिक्षाकी कल्पना

[बुनियादी शिक्षाकी स्थायी समितिके अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण तथा शिक्षा-मंत्रालयके अतिरिक्त सचिव श्री के० जी० सैयदेन द्वारा बुनियादी शिक्षाकी कल्पनाके बारेमें निकाला हुआ वक्तव्य नीचे दिया जाता है।]

'बुनियादी शिक्षा' शब्दका कअी तरहसे अर्थ और कभी कभी गलत अर्थ भी किया गया है। कुछ हद तक यह समझमें आ सकता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत नयी वस्तु है और अुसकी कल्पना तथा पद्धतियोंका अभी निर्माण हो रहा है। अिसलिअे यह जरूरी मालूम होता है कि बुनियादी शिक्षासे हमारा जो मतलब है, अुसे स्पष्ट शब्दोंमें बता दिया जाय। मोटे तौर पर हम यह कहना चाहेंगे कि बुनियादी शिक्षाकी कल्पना वही है, जो बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा समिति (जाकिरहुसेन कमेटी) की रिपोर्टमें बताअी गअी है और शिक्षाके केन्द्रीय सलाहकार बोर्डने जिसकी स्पष्ट व्याख्या की है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि जाकिरहुसेन कमेटीकी रिपोर्टमें बुनियादी शिक्षाके जो मूलभूत सिद्धान्त और पद्धतियां बताअी गअी हैं, अुन्हींसे मार्गदर्शन प्राप्त करके भारतमें शिक्षाके पुनर्निर्माण और पुनर्गठनका काम होना चाहिये। जहां तक आठ वर्षकी अनिवार्य सार्वत्रिक शिक्षा और शिक्षाके माध्यमके तौर पर मातृभाषाके अुपयोगका संबंध है, अिस विषयमें कोअी मतभेद नहीं है। ये दो सिद्धान्त अब सब जगह मान लिये गये हैं और अिस संबंधमें अब अधिक स्पष्टीकरणकी जरूरत नहीं है; हां, बुनियादी शिक्षा — जिसमें जूनियर और सीनियर दोनों बुनियादी अवस्थायें शामिल हैं — की संपूर्ण अवधिकी स्वाभाविक अखण्डता पर जोर देना जरूरी मालूम होता है। बुनियादी शिक्षाके जिन दूसरे गर्भित अर्थों और विशेषताओं पर जोर देना और अुन्हें स्पष्ट करना जरूरी है, वे अिस प्रकार हैं:

www.vinoba.in

१. महात्मा गांधीने बुनियादी शिक्षाकी जो कल्पना की है और अुसे जैसा समझाया है, अुसके अनुसार बुनियादी शिक्षा जीवनकी शिक्षा और अिससे भी अधिक जीवन द्वारा दी जानेवाली शिक्षा है। अुसका ध्येय अन्तमें अैसी समाज-व्यवस्था कायम करना है, जो शोषण और हिंसासे मुक्त हो। यही कारण है कि अुत्पादक, सर्जक और समाजके लिअे अुपयोगी कामको — जिसमें सारे लड़के और लड़कियां जाति या वर्गके किसी भेदभावके बिना भाग ले सकती हैं — बुनियादी शिक्षामें केन्द्रीय स्थान दिया गया है।

२. अिस तरह, अिस अवस्थामें बुनियादी दस्तकारीकी कारगर तालीम शिक्षाका अेक आवश्यक अंग हो जाती है; क्योंकि सही वातावरणमें किया गया अुत्पादक काम न केवल संबंधित ज्ञानकी प्राप्तिको अधिक ठोस और यथार्थ बनाता है, बल्कि विद्यार्थीके व्यक्तित्व और चरित्रके विकासमें भी भारी मदद पहुंचाता है तथा सामाजिक दृष्टिसे अुपयोगी सारे कामोंके लिअे विद्यार्थियोंमें आदर और प्रेम पैदा करता है। यह बात भी स्पष्ट रूपमें समझ लेना चाहिये कि अुद्योग-कामसे पैदा होनेवाली चीजोंकी बिक्रीसे जो पैसा मिलेगा, अुससे स्कूल चलानेमें होनेवाले खर्चका अेक हिस्सा पूरा किया जायगा, या अुसका अुपयोग बच्चे दोपहरका भोजन अथवा स्कूलका गणवेश प्राप्त करनेमें करेंगे, या स्कूलका कुछ फर्नीचर और दूसरा सामान जुटानेमें अुसकी मदद ली जायगी।

३. बुनियादी स्कूलोंमें अुद्योग-कामके स्थानके बारेमें काफी विवाद और मतभेद रहा है। अिसलिअे यह स्पष्ट बता देना जरूरी है कि बुनियादी शिक्षाका मूलभूत अुद्देश्य बालकके संपूर्ण व्यक्तित्वका विकास करना है, जिसमें अुत्पादनकी क्षमताका भी समावेश होता है। अिस बातको निश्चित बनानेके लिअे कि बुनियादी दस्तकारी या अुद्योगकी शिक्षा अच्छी तरह दी जाय और अुसकी शैक्षणिक संभावनाओंका पूरा-पूरा अुपयोग किया जाय, हमें यह आग्रह रखना चाहिये कि जो चीजें बनाअी जायं वे अच्छी और अुपयोगी होनी चाहिये — अितनी अच्छी जितनी कि बालक अपने विकासकी अुस अवस्थामें सामाजिक दृष्टिसे अुन्हें बना सकते हैं — और जरूरत पड़ने पर बिक सकनी चाहिये। कुशलताकी प्राप्ति और अच्छी कारीगरीके प्रेमका शैक्षणिक महत्त्व औजारों और कच्चे मालके साथ केवल खेलते रहनेसे, जिसे सारी अच्छी प्रवृत्तिवाले स्कूलोंमें आम तौर पर प्रोत्साहन दिया जाता है, कहीं अधिक है। अिस अुत्पादक पहलूको कभी गौण स्थान नहीं दिया जाना चाहिये — जैसा कि आज तक सामान्यतः हुआ है, क्योंकि किये जानेवाले अुद्योगमें प्राप्त कार्यक्षमता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपमें बालकके सर्वांगीण विकासमें सहायक होती है। वह बालकोंके सामने कार्य सिद्धिका अूंचा स्तर पेश करती है और अुन्हें अुपयोगी आदतों तथा अुद्देश्यपूर्ण प्रयोग, अेकाग्रता, आग्रह और विचारपूर्ण योजना जैसी वृत्तियोंकी सही तालीम देती है। अिस अवस्थामें अुत्पादनका विशेष लक्ष्य निश्चित करना भले संभव न हो, परंतु शिक्षकको अुत्पादक पहलूकी आर्थिक संभावनाओंकी पूरी खोज करनी चाहिये और अिस बातकी सावधानी रखनी चाहिये कि यह चीज बताये जा चुके शैक्षणिक ध्येयों और अुद्देश्योंकी प्राप्तिमें बाधक न हो। लेकिन यह तो कहना होगा कि राज्योंके लिअे जूनियर बेसिक स्कूलोंके अूंचे दर्जोंमें और सीनियर बेसिक स्कूलोंमें प्राप्त अनुभवोंका सावधानीसे अन्दाज लगाकर अुत्पादनके अमुक अल्पतम लक्ष्य निर्धारित करना कठिन नहीं होना चाहिये।

४. स्कूल-कामके साथ जोड़े जानेवाले बुनियादी अुद्योगोंके चुनावमें हमें अुदार दृष्टि रखनी चाहिये और अैसे अुद्योगोंको अपनाना चाहिये जो बुद्धिके विकासकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं और जिनमें ज्ञान तथा व्यावहारिक क्षमताके प्रगतिशील विकासकी गुंजाअिश हो। बुनियादी अुद्योग अैसा होना चाहिये जिसका स्कूलके कुदरती और सामाजिक वातावरणके साथ मेल बैठे और जिसके भीतर अधिकतम शैक्षणिक संभावनायें भरी हों। यह खयाल, जो कुछ लोगोंके मनमें गलतीसे पैदा हो गया है, कि स्कूलमें कोअी अुद्योग — जैसे कताअी — दाखिल कर देनेसे ही वह बुनियादी स्कूल हो जाता है, बुनियादी शिक्षाके विचारके साथ भारी अन्याय करता है।

५. बुनियादी शिक्षामें, जैसा कि बेशक शिक्षाकी किसी भी अच्छी योजनामें होना चाहिये, ज्ञानका संबंध कामसे, प्रत्यक्ष अनुभवसे और निरीक्षणसे होना चाहिये। अिसे निश्चित बनानेके लिअे बुनियादी शिक्षा सही रूपमें यह मानती है कि पाठ्यक्रमके अभ्यासका संबंध बुद्धिपूर्वक अनुबन्धके तीन मुख्य केन्द्रों — यानी अुद्योग-काम, कुदरती वातावरण और सामाजिक वातावरण — के साथ जोड़ा जाना चाहिये। अच्छी तरह तालीम पाया हुआ और समझदार शिक्षक जो ज्ञान बच्चोंको देना चाहता है, अुसके अधिकांशको अनुबन्धके अिन तीन केन्द्रोंमें से किसी अेक या दूसरे केन्द्रके साथ जोड़ सकता है, जो बढ़ते हुअे बच्चेकी दिलचस्पीके महत्त्वपूर्ण और कुदरती केन्द्रबिन्दु हैं। अगर शिक्षक अैसा न कर सके तो मानना चाहिये कि या तो अुसमें आवश्यक योग्यताका अभाव है या पाठ्यक्रम ज्ञानके अैसे अंगोंसे बोझिल बना दिया गया है जो अुस विशेष अवस्थामें सचमुच आवश्यक और महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन यह भी समझना चाहिये कि पाठ्यक्रममें कुछ अंग अैसे हो सकते हैं, जिनका अिन तीनोंमें से किसी भी केन्द्रके साथ आसानीसे सीधा संबंध नहीं जोड़ा जा सके। अैसे अंगोंको किसी अच्छे स्कूलमें अपनाअी गअी शिक्षाकी पद्धतियोंके अनुसार पढ़ानेमें कोअी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अिसका मतलब यह है कि पाठ्यक्रमके अैसे अंगोंके बारेमें भी दिलचस्पी और प्रेरणाके सिद्धान्तका तथा अभिव्यक्ति-मूलक कार्यके मूल्यका अुपयोग किया जायगा। हर हालतमें, जबरन् कायम किये गये और यांत्रिक 'संबंधों' को, जिन्हें अनेक स्कूलोंमें अनुबन्धका नाम दिया जाता है, सावधानीपूर्वक टालना चाहिये।

६. बुनियादी स्कूलोंमें अुत्पादक कार्य और अुद्योगों पर दिये जानेवाले जोरका यह अर्थ नहीं है कि पुस्तकोंकी पढ़ाअीकी अुपेक्षा की जा सकती है। बुनियादी शिक्षाकी योजना यह जरूर मानती है कि पुस्तक ही ज्ञान और संस्कृतिका अेकमात्र या मुख्य साधन नहीं है और यह कि अिस अवस्थामें ठीक ढंगसे व्यवस्थित किया गया अुत्पादक कार्य ज्ञानकी प्राप्ति और चरित्रके विकास दोनोंके लिअे अनेक प्रकारसे अधिक सहायक हो सकता है। परंतु अतिरिक्त व्यवस्थित ज्ञान और आनन्दके अेक साधनके रूपमें पुस्तकके महत्त्वसे अिन्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा पुस्तकालय बुनियादी स्कूलके लिअे भी अुतना ही जरूरी है, जितना कि अन्य प्रकारके अच्छे स्कूलोंके लिअे।

७. बुनियादी योजना शिक्षा और बालकोंको अधिक सामाजिक और सहयोगी बनानेके लिअे स्कूल और समाजके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करनेकी कल्पना करती है। यह ध्येय वह दो तरहसे सिद्ध करनेका प्रयत्न करती है: पहले, स्वयं स्कूलका ही अेक जीते-जागते और कार्य करते हुअे समाजके रूपमें संगठन करके, जो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा दूसरी प्रवृत्तियां चलाता है; दूसरे, विद्यार्थियोंको आसपासके जीवनमें भाग लेने और स्थानीय समाजकी अनेक प्रकारकी सेवाओंका संगठन करनेके लिअे प्रोत्साहित करके। विद्यार्थियोंका स्वशासन बुनियादी शिक्षाकी अेक दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है, जो जिम्मेदारियोंके

www.vinoba.in

पालन और लोकतांत्रिक जीवन-पद्धतिकी तालीमका निरंतर चलनेवाला कार्यक्रम माना जाना चाहिये। अिस प्रकार, बुनियादी स्कूल विद्यार्थियोंमें केवल स्वावलंबन, सहयोग और श्रम-प्रतिष्ठाके लिअे आदरके गुण ही नहीं बढ़ाता, बल्कि अेक प्रगतिशील समाज-व्यवस्थाकी स्थापनाका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन भी बनता है।

८. हमें यह नहीं मानना चाहिये कि बुनियादी शिक्षा केवल ग्रामीण क्षेत्रोंके लिअे ही है। अुसे शहरोंमें भी दाखिल करना चाहिये। अिसका अेक कारण अुसकी स्वाभाविक अनुकूलता है और दूसरा कारण यह है कि हम लोगोंके मन पर पड़ी हुअी यह छाप मिटाना चाहते हैं कि वह अेक प्रकारकी घटिया शिक्षा है जो गांवके बच्चोंके लिअे ही खड़ी की गअी है। अिसके लिअे शहरी स्कूलोंकी दृष्टिसे बुनियादी अुद्योगोंके चुनावमें और पाठ्यक्रममें भी आवश्यक परिवर्तन करना पड़ सकता है, लेकिन बुनियादी शिक्षाके सामान्य सिद्धान्त और पद्धतियां तो वही रहनी चाहिये।

(अंग्रेजीसे)

हरिजनसेवक

१३ अगस्त १९५५

नदियोंके बांध और बिजली

ता० ११–६–'५५के 'हरिजनबन्धु' में (देखिये, 'हरिजनसेवक' १८–६–'५५) 'बेकार मनुष्य और बेकार यंत्र' नामक टिप्पणी पढ़कर बम्बअीसे अेक भाअीने मुझे लंबा पत्र लिखा है। अुसमें अुन्होंने यह बताया है कि बड़े बांधोंके खर्चके अन्दाजमें बढ़ती होती ही रहती है। परन्तु "हमारे अर्थमंत्री और अुनके निष्णात अधिकारी लोग ये अन्दाज लगानेमें वर्षों तक गलतियां किया करें, अिस बातको मैं नहीं मान सकता।"

यह लिखकर वे अिस बातका वर्णन करते हैं कि दामोदर घाटीकी मूल योजना १० करोड़के अन्दाजसे १ अरब १० करोड़ तक कैसे पहुंच गअी, और कहते हैं:

> "अेक सज्जनने, जिनका सम्बन्ध नदियोंके बांध बांधनेके कार्यके साथ था, मुझसे कहा था कि यह योजना १ अरब और १० करोड़ तक पहुंचेगी।"

पत्रलेखकने अपने पत्रमें यह भी लिखा है कि:

> "मुझे अुन सज्जनकी कही हुअी यह बात भी याद है कि अिन सारी योजनाओंसे कोअी लाभ नहीं होगा। अुनके मतसे प्रत्येक नदी पर हर दो-तीन मील पर बांध बांधना चाहिये। सीमेन्ट और लोहेकी मददके बिना सब नदियों पर छोटे छोटे बांध बांधे जा सकते हैं।"

तो आप अैसा कहते क्यों नहीं, अिसके अुत्तरमें अुन सज्जनने यह शिकायत की:

> "हमारी बात सुनता कौन है? सब कुछ अमेरिकन निष्णातोंके कहे अनुसार होता है। और हमें तो धन्धा करना है। . . . हमें भी ठेका पानेके लिअे विदेशी निष्णात रखनेकी सरकारी शर्त मंजूर करनी पड़ती है। हम विदेशी निष्णात रखते हैं, जो हमारे किसी कामके नहीं होते।"

अुन सज्जनने पत्रलेखकसे यह भी कहा कि:

> "ये सब बड़े बड़े बांध बांधनेका मुख्य हेतु विपुल मात्रामें बिजली पैदा करना है, जिसका वहां कोअी अुपयोग नहीं हो सकेगा। बिजली पैदा होनेके बाद अुसके अुपयोगके लिअे अरबोंके खर्चसे नये कारखाने खड़े करनेकी योजना आयेगी।"

अिसके बाद पत्रलेखक अन्तमें लिखते हैं कि:

> "अिस तरह कांग्रेस और कांग्रेसजन ग्रामोद्योगों और गृह-अुद्योगोंके प्रस्ताव पास करते रहेंगे और स्थापित स्वार्थ देशको यंत्रीकरण और भारी अुद्योगोंकी ओर खींच कर अपनी बाजी खेलते रहेंगे।"

अिस प्रकार पत्रलेखकने मुझे अेक महत्त्वपूर्ण बात लिख भेजी है। अपने दूसरे पत्रमें अिस विषयमें लिखते हुअे वे कहते हैं:

> "जिन सज्जनने मुझसे ये बातें कही हैं वे जाहिरा तौर पर कुछ कहें यह संभव नहीं है। परन्तु अुनके साथकी चर्चामें मैं जो कुछ समझा हूं वही आपको लिख भेजता हूं।"

अिसके बाद अिस विषयमें अपनी चर्चाको आगे बढ़ाते हुअे वे लिखते हैं:

> "बड़े बांध बांधनेमें भारी खर्च होता है। अमेरिकामें अैसे बहुतसे बांध टूट गये हैं। बांधोंके टूटनेसे बहुत भारी नुकसान अुठाना पड़ सकता है। अमेरिका जैसा धनी देश यह सब कर सकता है। हमारा गरीब देश यह नुकसान नहीं सहन कर सकता। दूसरे, अैसे बांधोंके कारण हजारों अेकड़ जमीन पानीमें डूब जाती है। अेक ओर हम जमीनकी कमीकी शिकायत करते हैं और दूसरी ओर हजारों अेकड़ जमीन पानीमें डूबने देते हैं।
>
> "अैसे बांधोंके लिअे संसद्की मंजूरी लेते वक्त दो प्रलोभन अुसके सामने रखे जाते हैं: अेक, बांध बांध कर विशाल नहरों द्वारा अन्नका अुत्पादन बढ़ानेका; दूसरा, लाखों किलोवाट बिजली पैदा करनेका। साफ है कि लोग अन्न-अुत्पादनकी वृद्धिको महत्त्व प्रदान करते हैं। परन्तु दरअसल तो योजना बनानेवाले लोग बिजलीको ही ज्यादा महत्त्व देते मालूम होते हैं। समग्र दृष्टिसे देखा जाय तो क्या भारतमें नहरोंकी खेती संभव है? भारत जैसे विशाल देशको नहरोंकी जालमें गूंथना संभव है? कदाचित् यह संभव भी हो सके तो अिसमें हमें कितनी जमीन खोनी पड़ेगी? अिसके लिअे दूसरा कोअी आसान और सस्ता विकल्प हो, तो अुसका भी विचार करना चाहिये।
>
> "अब जब बांध तैयार होनेको आये हैं या तैयार हो गये हैं तो यंत्रीकरणकी और तरह तरहके नये कारखाने खड़े करनेकी हवा फैलने लगी है। अधिक कपड़ेकी मिलें, अधिक शक्करकी मिलें, अधिक सीमेन्ट फैक्टरियां, फौलादके कारखाने, रासायनिक खादके कारखाने — अिन सबकी योजनायें बनती सुनी जाती हैं।
>
> "विशाल बांधोंकी योजनामें दूसरे भयस्थान भी हैं: (१) जरूरत पड़ने पर सरकार पानीके भाव बढ़ा सकती है और किसानोंकी समृद्धिके नाम पर बांधी गअी नहरें मात्र सरकारी आयके साधनोंमें बदल सकती हैं; (२) बड़ी नहरोंसे पानी लेनेवाला किसान बड़े अुद्योग खड़े किये जाने पर, अुदाहरणके लिअे शक्करकी मिलें, स्वतंत्र किसान रहनेके बजाय औद्योगिक तंत्रका अेक पुर्जा बन सकता है। सीधे या टेढ़े रूपमें अुसके लिअे अुद्योगोंके लिअे जरूरी चीजें अथवा निर्यात करनेवाली बड़ी बड़ी पेढ़ियोंके लिअे जरूरी चीजें बोना अनिवार्य हो जायगा। अिसके सिवा, बांधोंके सरकारी अन्दाज जिस तरह बढ़ जाते हैं अुसी तरह खेतोंमें पानी पहुंचानेके अेकड़ोंका अन्दाज बादमें घट नहीं जायगा अिसका क्या विश्वास है?
>
> "तो फिर खेतीका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, अिस पर हम विचार करें। यह है कुओंकी खेती। पहली

www.vinoba.in

दृष्टिमें यह शायद हास्यास्पद भी लग सकता है। क्योंकि आजकल कुओंमें पानी नहीं रहता। हमारी गलतियोंके कारण ही जमीनके नीचेका पानी भी खूट गया है। हमें अुसका फिरसे संग्रह करना चाहिये। यह अिस तरह किया जा सकता है। नदियोंको अुद्गमसे मुंह तक मिट्टी और अींटोंके छोटे बांधोंसे थोड़े थोड़े अन्तर पर बांध लेना चाहिये। अिन छोटे बांधोंके लिअे सीमेन्ट, लोहा, या टेकनीशियनोंकी जरूरत नहीं होगी, अिसलिअे वे बहुत थोड़े खर्चमें जल्दी तैयार हो सकते हैं। संभव हो वहां नदियोंको खोद कर गहरा बनाया जाय, क्योंकि पेड़ काट डालनेसे नदियोंके किनारे धुल जानेके कारण वे छिछली हो गअी हैं। अधिक कटावको रोकनेके लिअे नदियोंके दोनों किनारों पर बड़े फैलनेवाले वृक्ष लगा देने चाहिये। गांवोंमें जहां जहां तालाब मिट्टीसे भर गये हैं, अुन्हें फिरसे गहरा किया जाय। सूर्यकी गर्मीसे जमीनका पानी सूख न जाय अिसके लिअे गांवकी सीमाओं पर भी वृक्ष लगाये जायं और चरागाह छोड़े जायं। चरागाह धूपसे जमीनकी रक्षा करते हैं। अिस तरह जमीनमें पानी फिरसे अिकट्ठा किया जा सकेगा। अिसलिअे नये कुअें खोदे जा सकेंगे। पाताल कुअें खोदनेकी भी जरूरत नहीं रहेगी।

"खेतीके लिअे पंचवर्षीय योजनामें केवल पानीका ही विचार किया गया है। परन्तु अुसके लिअे तीन मुख्य वस्तुअें हैं। पहली, जमीन अेकसी जोती जानी चाहिये। दूसरी, खाद। और तीसरी, पानी। जमीन जोतनेके लिअे बैलोंकी बहुत बड़ी तंगी है और बहुत बार जमीन पूरी जोते बगैर ही बोवाअी करनी पड़ती है। अकेले बम्बअी राज्यमें ही १७ लाख बैलोंकी कमी है। यह भारी कमी संपूर्ण गोवध-निषेधके बिना पूरी की ही नहीं जा सकती। दूसरा प्रश्न आता है खादका। वह भी गोवध बन्द करनेसे ही हल हो सकता है। अिसके दूसरे विकल्प हैं ट्रेक्टर और रासायनिक खाद। हमारे अर्थमंत्री श्री देशमुखने दूसरी पंचवर्षीय योजनामें खेतीके लिअे अमुक अरब रुपये खर्च करनेकी घोषणा की है। मुझे डर है कि अुनके मनमें ट्रेक्टर और रासायनिक खादके कारखाने ही रम रहे होंगे। अिस तरह हम यंत्रीकरण और भावी राष्ट्रव्यापी संकटकी ओर बढ़ते जा रहे हैं।"

पत्रलेखकने अपनी बातकी चर्चा अितने विस्तारसे की है कि अुसमें कुछ बढ़ानेकी जरूरत नहीं रह जाती। सरकारी योजनाकारोंके रुखके बारेमें पत्रलेखकने जो आक्षेप किया है, अुसे हम छोड़ दें। सच पूछा जाय तो योजनाओंके बारेमें आज जो कुछ चल रहा है वह अुनकी बातकी काफी पुष्टि करता है। पत्रके अन्तमें लेखकने बैलोंकी कमीकी बात कही है। वे अुसमें दूधकी भारी कमीको भी गिना सकते हैं। अिस कमीको दूर करनेके लिअे वे 'गोवध-निषेध' का अुपाय सुझाते हैं। अुसके बजाय गोपालन और गोसेवा कहना ठीक होगा। कानूनकी यह मनाही तो है ही कि दुधारू ढोर, बछड़े, वगैरा मारे नहीं जा सकते। परन्तु लोभके मारे हमारे लोग अिस मनाहीको ज्यादा मानते नहीं। अिससे गैरकानूनी हत्या चलती होगी। अिसके लिअे मुख्य दोष शहरोंके दूधके प्रश्नको दिया जा सकता है। दूधके प्रश्नके हलकी नीति भी विदेशी सलाहकारोंकी यंत्रों और पाश्चरीकरणकी बातों पर निर्भर है। परिणाम यह है कि करोड़ों रुपये गोसेवामें खर्च होनेके बदले शहरोंकी अुलटी रीतोंमें बरबाद हो जाते हैं।

सारी चर्चाका निचोड़ अिस मुख्य बातमें है कि आज हमारा देश बड़ी कठिन और नाजुक परिस्थितिमें से गुजर रहा है। स्वराज्य आनेके बाद अुसका लाभ गांवोंको, जहां भारतके ८० प्रतिशत लोग बसते हैं, मिलना चाहिये। और तुरन्त मिलना चाहिये। अुसीकी नीति सोची जानी चाहिये। अिससे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान और विज्ञानकी खोज होनी चाहिये और अुनका अुपयोग किया जाना चाहिये। लेकिन अिसके बदले आज हमारे देशमें पूंजीवादी और साम्राज्यवादी विदेशोंकी अर्थनीति और यंत्रोद्योगवादका अनुकरण हो रहा है। अिसमें देशके पूंजीवादी अुद्योपतियोंका हित तो स्पष्ट ही है। अुन्हें भी खानगी क्षेत्र रखनेकी छूट नअी अर्थयोजनामें दी गअी है। आज वे अिस क्षेत्रको अक्षुण्ण रखने और हो सके तो बढ़ानेकी ताकमें हैं और अुसके लिअे जीतोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। अुन्हें अेक दूसरा भय भी है। वे चाहते हैं कि खादी और ग्रामोद्योगोंको अगर नयी योजनामें स्थान मिलता है, तो अुनसे अुनकी कपड़ा-मिलों, तेल-मिलों, चावल-मिलों, चमड़ेके कारखानों वगैराको कोअी नुकसान न पहुंचे। भारतमें बेकारीका पोषण करनेवाले और अुसे बनाये रखनेवाले ये यंत्रोद्योग खतम होने चाहिये। तभी हमारे पामाल हुअे गांव तर सकेंगे और बेकारी दूर हो सकेगी। सरकारको अब यह नीति दृढ़तासे अपनानी चाहिये। आजकी हमारी नाजुक परिस्थितिका मुख्य प्रश्न यही है। हमारी सरकारने आज तक आवश्यकतासे अधिक ध्यान, धन आदि यंत्रोद्योगोंकी तरफ ही लगाया है। यह गलत है, क्योंकि अिससे देशका बेकारी-निवारण और कामधंधेकी वृद्धिका मुख्य प्रश्न हल नहीं होगा। अुसके लिअे तो खादीके अर्थशास्त्रका और जगत्की सच्ची शान्तिका गांधीजीका सन्देश ही अपनाना चाहिये।

यह सन्देश गंभीर और अत्यंत सरल तथा सीधा और अमल करने लायक है। भारतकी प्रजा समझकर खादी और ग्रामोद्योगोंको अपना ले तो कितनी ही अुल्टी बातें अपने-आप सुधर जायं। दूसरी पंचवर्षीय योजना अैसे प्रयत्नको अेक खास मर्यादामें जो थोड़ा-बहुत स्थान देती है, अुसका हमें पूरा लाभ अुठाना चाहिये। अुसके बल पर हमारा आगे बढ़नेका मार्ग खुल जायगा।

३-८-'५५ **मगनभाई देसाई**

(गुजरातीसे)

लोकमान्य — आधुनिक भारतके निर्माता

बम्बअीके प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाअी देसाअीने लोकमान्य तिलककी पुण्य-तिथि पर ता० १ अगस्तके दिन आकाशवाणी, दिल्लीसे ब्राडकास्ट करते हुअे कहा कि लोकमान्यकी स्मृति और अुनकी सेवाओंके प्रति देशका आदर गांधीजीके शब्दोंमें जैसा प्रगट हुआ था, अुतनी अच्छी तरह दूसरे किन्हीं शब्दोंमें प्रगट नहीं किया जा सकता। अुनकी मृत्यु पर गांधीजीने कहा था: "स्वराज्यके संदेशका प्रचार जैसी अविरत निष्ठा और आग्रहके साथ लोकमान्यने किया, वैसा किसी अन्य व्यक्तिने नहीं किया। यही कारण था कि अुनके देशवासी अुनका पूरा-पूरा विश्वास करते थे। देशकी आनेवाली पीढ़ियां अुन्हें आधुनिक भारतके निर्माताकी तरह याद करेंगी। अुनका स्मरण करते हुअे, वे कहेंगी कि लोकमान्य सर्वथा हमारे लिअे जिये और हमारे लिअे मरे। अैसे व्यक्तिके विषयमें यह कहना कि अुनकी मृत्यु हो गयी है सत्यका अपलाप है। अुनका अमर सत्त्व हमारे साथ हमेशा रहेगा। हमें चाहिये कि हम अपने जीवनमें अुनकी बहादुरी, अुनकी सादगी, अुनका परिश्रम और अुनका अपूर्व देशप्रेम प्रगट करके भारतके अिस अद्वितीय 'लोकमान्य' के लिअे अमर स्मारकका निर्माण करें।"

श्री देसाअीने कहा कि दादाभाअी नवरोजी, लोकमान्य तिलक और गांधीजी — अिस त्रयीका देश सबसे ज्यादा ऋणी है। दादाभाअी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन् १९०६ में देशकी सारी

www.vinoba.in

तकलीफोंके अिलाजके तौर पर स्वराज्यके आदर्शका स्पष्ट अुल्लेख किया। सन् १९१६ में तिलकने अुसे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया और गांधीजीने अपने महान् प्रयत्नसे अुसे अपने जीवनकालमें अेक जीवन-सत्यकी तरह सिद्ध करनेका यश हासिल किया।

श्री देसाअीने कहा कि लोकमान्यका नाम भारतके अितिहासमें भारतीय स्वराज्य-आन्दोलनके जनककी तरह सदा अमर रहेगा, जिन्होंने अपने देशबंधुओंको 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'—यह प्रेरक मंत्र दिया।

लोकमान्यके बारेमें कुछ हलकोंमें आज भी जो गलत धारणाअें प्रचलित हैं, अुनकी चर्चा करते हुअे श्री देसाअीने कहा कि अिन धारणाओंका मूल ब्रिटिश लेखकों द्वारा गलत ढंगसे अिकट्ठी की गयी अुस जानकारीमें है जो अुन्होंने शंकास्पद स्रोतोंसे बटोरी और पुस्तकोंमें लिखकर जिसका अुन्होंने परिश्रमपूर्वक प्रचार किया। अुन्होंने कहा कि अिस प्रक्रियामें हमारे कुछ देशवासियोंका भी सहयोग रहा है।

पिछली सदीकी अन्तिम और वर्तमान सदीकी प्रथम दशाब्दियोंमें पुलिसने लोकमान्यका नाम अुस समय महाराष्ट्र और बम्बअीमें प्रचलित बम-विस्फोटकी नीतिसे जोड़नेका जो प्रयत्न किया था, अुसका अुल्लेख करते हुअे श्री देसाअीने कहा कि अिस संबंधमें अदालतोंमें चले हुअे मुकदमों और दूसरे जरियोंसे अब जो चीज स्पष्ट जाहिर हुअी है, वह बतलाती है कि लोकमान्य स्वतंत्रताके अग्र योद्धाओंमें अवश्य थे लेकिन अुन्हें कानूनका अुल्लंघन अिष्ट नहीं था। वे अपना प्रयत्न वैधानिक सीमाओंके अन्दर रहकर ही चलाते थे। वे लोगोंके असंतोषको रचनात्मक योजनाओं और कार्योंकी ओर प्रवाहित करके अुसे संघटित रूप देनेवाले और दूसरे सारे अुपायोंके व्यर्थ हो जाने पर निष्क्रिय प्रतिरोधकी नीतिमें विश्वास करनेवाले थे। यही अुनका राजनीतिक तत्त्वज्ञान था। सूरत कांग्रेसके बाद ही सन् १९०८ में अुन्होंने पूना शहर और महाराष्ट्रके जिलोंमें शराबबन्दीकी मुहिम चलायी थी; अुनका यह कार्य निष्क्रिय प्रतिरोधके कार्यक्रममें अुनके विश्वासका अकाट्य प्रमाण पेश करता है। शराबके चलनको रोकने और शराबबन्दी जारी करनेके जितने कारगर अुपाय हो सकते हैं, अिस मुहिमने अुन सब अुपायोंका प्रयोग किया था। अिन अुपायोंमें शराबकी दुकानोंका पिकेटिंग भी शामिल था। अिस तरह शराबबन्दीकी यह मुहिम सविनय आज्ञाभंगका आन्दोलन बन गयी थी।

अपनी कालेजकी पढ़ाअीके दिनोंमें ही अुन्होंने १८५७ के स्वातंत्र्य-युद्धका ही नहीं, वासुदेव बलवन्तके असफल विद्रोहका भी मूल्यांकन कर लिया था और मालूम होता है कि अुसके परिणामस्वरूप वे अिस दृढ़ निश्चय पर आ गये थे कि सार्वत्रिक जागृति, जनताकी प्रतिरोध-शक्तिका निर्माण, और नौकरशाहीके शासनका सतत विरोध ही वह अेकमात्र रास्ता है, जो अुचित समय पर हमें राजनीतिक आजादी दिला सकता है। लेकिन वह अुचित समय आने पर लोगोंको अुसका लाभ अुठानेके लिअे अवश्य तैयार होना चाहिये। अुनका स्पष्ट मत था कि हमें राजनीतिक अधिकार केवल अिसलिअे नहीं मिलेंगे कि वे न्याय्य और अुचित हैं; अुन्हें पानेके लिअे लोगोंको शासकों पर दबाव डालना पड़ेगा। अिसलिअे अुनका हमेशा यह प्रयत्न रहता था कि जिससे लोगोंमें आत्मसम्मान, स्वावलंबन, और अपने न्याय्य अधिकारके लिअे आग्रहकी भावना पैदा हो, अैसा आन्दोलन जारी किया जाय या दूसरोंके द्वारा चलाये हुअे अैसे आन्दोलनमें भाग लिया जाय और अुसे बल पहुंचाया जाय।

(अंग्रेजीसे)

'नींवमें से निर्माण'—४

क्या हमारी अर्थरचनाके स्वतंत्र अुद्योग-धंधेवाले सेक्टरसे काफी बड़ी सीमा तक काम लिया और लाभ अुठाया जा सकता है और क्या अुसके जरिये आर्थिक विकासका खासा अच्छा हिस्सा सिद्ध किया जा सकता है? संक्षेपमें, अिस सेक्टरकी क्षेत्र-सीमायें और कार्य-शक्ति क्या है?

'नींवमें से निर्माण' पुस्तिका स्वीकार करती है कि "अिस बात पर अब कोअी विवाद नहीं रह गया है कि राज्यके अखण्ड और स्वतंत्र अस्तित्वके लिअे आवश्यक सारे अुद्योग—जैसे राष्ट्रकी सुरक्षासे सम्बन्धित अुद्योग, अणुशक्ति आदि—और अर्थ-व्यवस्था अच्छी तरह काम करती रहे अिसके लिअे आवश्यक सारे अुद्योग, जैसे बुनियादी अुद्योग, रेल, डाक-तार आदि पर या तो राज्यका अेकाधिकार होना चाहिये या वे अुसके नियंत्रणमें होने चाहिये।" (पैरा ३६)

दूसरी तरफ यह भी निर्विवाद है कि "स्वतंत्र धंधेवाला सेक्टर अर्थोत्पादनसे सम्बन्धित कार्योंमें से केवल अुन्हीं कार्योंको कर सकता है, जो पारिवारिक कारखानोंमें या अुत्पादकोंके विकेन्द्रित छोटे-छोटे सहकारी मण्डलोंके जरिये कारगर ढंगसे चलाये जा सकें।" (पैरा ३७)

अैसे कार्य क्या हैं? अिस प्रश्नका अुत्तर देते हुअे अुक्त पुस्तिका विविध अुद्योगोंके ७९ समूहोंका विस्तृत विश्लेषण करती है और बताती है कि "भारतके मौजूदा अुद्योगोंमें से करीब आधे स्वतंत्र काम-धंधेके अनुकूल हैं। लेकिन अुनमें से ४२% अुसके लिअे और भी ज्यादा अनुकूल हैं, कारण अुन धंधोंमें लगे हुअे स्वतंत्र लोग अिन धंधोंको सफलतापूर्वक चलानेके काममें आनेवाली अनेक कठिनाअियोंके बावजूद अिस सेक्टरमें काम करनेवाले आदमियोंकी कुल संख्याके आधेसे चार-पंचमांश तक हैं।" (पैरा ३९)

और अिस विश्लेषणके आधार पर पुस्तिका अिस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि "स्वतंत्र काम-धंधेवाला सेक्टर धीरे धीरे बढ़ते हुअे अन्न, वस्त्र, दवाअियां, दियासलाअी आदि प्राथमिक आवश्यकताओंकी सारी वस्तुओंके निर्माणका काम अपने हाथमें ले सकता है। और अुत्पादनकी यह व्यवस्था जहां अेक बार शुरू हुअी और जहां अुसे अपनी शक्ति-भर काम करने योग्य बना दिया गया कि अुसे कार्यक्षमता अथवा सामाजिक हितकी किसी तरहकी हानि हुअे बिना ही अिनके सिवा और दूसरे अुद्योग भी सौंपे जा सकते हैं।" (पैरा ४४)

लेकिन यहां पुस्तिका सावधानीके साथ यह भी कह देती है कि "स्वतंत्र काम-धंधा अपने अिस कार्यमें कहां तक सफल होगा, यह बात अेक ओर तो सरकारकी अुपयुक्त नीतियों पर और दूसरी ओर अुसके सफल कार्य-निर्वाहके लिअे आवश्यक व्यवस्थापक और कार्यवाहक संघटन खड़ा कर देनेकी अुसकी तत्परता पर निर्भर है। अिस सम्बन्धमें महत्त्वका मुद्दा, जिस पर जोर दिया जाना चाहिये, यह है कि स्वतंत्र काम-धंधेवाले सेक्टरकी योग्यताका अनुमान अुसकी मौजूदा कार्यक्षमताके आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रके आर्थिक और सामाजिक कल्याणके हकमें अुसकी संभावनाओंकी शोध और अुनका अुपयोग कितनी अच्छी तरह किया जाता है, अुसके आधार पर करना चाहिये।" (पैरा ४४)

अिसलिअे राष्ट्रीय प्रगतिकी हमारी मौजूदा स्थितिमें हमें अपनी विकास योजनाओंको अपनी अर्थ-रचनाकी चट्टान जैसी सुदृढ़ नींव पर, यानी स्वतंत्र काम-धंधेवाले सेक्टर पर ही आधारित करना चाहिये। वैसा करने पर हमारी योजनाओंमें सच्ची जनतांत्रिक दृष्टि आयेगी, अितना ही नहीं अुससे वे हमारा जीवन-मान अेकदम अूंचा अुठानेमें भी समर्थ बनेंगी। क्योंकि जो भी

www.vinoba.in

नयी सम्पत्ति पैदा होगी वह विकेन्द्रित ढंगसे अपने-आप बंट भी जायगी। हमारी योजनामें अिन अुद्योगोंको अुत्पादनके स्वतंत्र क्षेत्र मिलने चाहिये, ताकि अुन्हें केन्द्रित और पूंजी-प्रधान अुद्योगोंकी प्रतियोगिताका मुकाबला न करना पड़े। तो हमारे सामने अिस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह निर्णय करनेका है कि कपड़ा, तेल, अन्न आदि जिन क्षेत्रोंमें गृह-अुद्योग और ग्रामोद्योग सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं, अुनमें यंत्रोद्योगोंको न सिर्फ गृह-अुद्योगोंकी प्रतियोगिता बन्द कर देना चाहिये, बल्कि अेक क्रमबद्ध योजनाके अनुसार वहांसे हट भी जाना चाहिये। भारतीय पूंजीवादके जो स्वार्थ अभी अिन क्षेत्रोंमें जमे हुअे हैं, अुन्हें आवश्यक देश-प्रेमका प्रमाण देकर अिस अनिवार्य व्यवस्थाको स्वीकार करना होगा। तभी हम जनतांत्रिक ढंगसे पूरी रोजगारी, समान वितरण और अधिकतम अुत्पादनका लक्ष्य सिद्ध कर सकेंगे।

२३-७-'५५ मगनभाई देसाई

(अंग्रेजीसे)

बालकोंके खिलाफ कीटाणु-युद्ध*

श्री च० राजगोपालाचार्यको अुनकी अिस साहसपूर्ण मांगके लिअे कि सरकारको बी० सी० जी० के टीके सामुदायिक प्रमाण पर लगानेकी अपनी मुहिम बन्द कर देना चाहिये, जितनी बधाअी दी जाय अतनी कम है! श्री राजगोपालाचार्य भारतके भूतपूर्व गवर्नर-जनरल हैं और देशमें अुनका बड़ा आदर है, लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी चिकित्सा-पद्धतिकी रूढ़िप्रियताका गहरा जमा हुआ बल है और अिस समय अुसे वर्तमान शासकोंका — जो राजाजीके मित्र हैं — समर्थन प्राप्त है। अिसलिअे भारतके बालकोंके पक्षमें राजाजीने यह मांग घोषित करते हुअे सचमुच नैतिक साहसका कार्य किया है।

'बालकोंके खिलाफ अिस कीटाणु-युद्ध' का (श्री राजाजीने मद्रासमें ३० जूनको हुअी अेक सार्वजनिक सभामें सरकारकी अिस मुहिमका वर्णन अिन्हीं शब्दोंमें किया है) कार्यक्रम स्वास्थ्य-मंत्रालयने सात वर्ष पहले स्वीकार किया था, और वह तभीसे चल रहा है। श्री राजाजीने कहा कि बी० सी० जी० न सिर्फ क्षय रोगसे बचावकी गारंटी नहीं देता, बल्कि वह नकसान भी करता है, और घोषणा की कि मैं अपना यह आन्दोलन तब तक जारी रखूंगा जब तक कि सरकार निर्दोष बालकोंके शरीरमें अिस जहरको भरनेका अपना यह कार्यक्रम बन्द नहीं कर देती।

हम कहेंगे कि सरकार अैसा जितनी जल्दी करे, अुतना ही अुसके लिअे श्रेयस्कर होगा। स्वास्थ्य-मंत्रालय अिस खतरनाक नीतिको तब तक जारी रखे, जब तक कि भारतमें भी 'निर्दोष बच्चोंकी हत्या' की वैसी ही भयानक विपत्तिकी पुनरावृत्ति न हो जाय जैसी कि सन् ३० में ल्यूबैकमें हुअी थी (भगवान् न करे कि वैसा हो!), अुसके बजाय अगर वह अपनी भूल स्वीकार कर ले तो अुसके सम्मानकी ज्यादा अच्छी रक्षा होगी। लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि बी० सी० जी० से कोअी हानि नहीं होती, वे या तो गलत जानकारी रखते हैं या फिर कहना होगा कि वे प्रामाणिक नहीं हैं।

(अंग्रेजीसे)

* 'आर्यन पाथ' अगस्त, १९५५ से

शिक्षाकी समस्या

गांधीजी

कीमत ३-०-० डाकखर्च १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

www.vinoba.in

शिक्षा और राज्यका नियंत्रण

जॉअिंट सिलेक्ट कमेटी (संयुक्त प्रवर समिति) ने 'युनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमीशन बिल' के लिअे जो सिफारिशें की हैं, अुनके सम्बन्धमें बम्बअी राज्यके गवर्नर डॉ० मेहताबने अपना मत प्रकट किया, यह अच्छी बात है। अैसे वक्तव्यके लिअे यह बड़ा अुपयुक्त अवसर था। वे पूनाके तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठके पदवीदान समारंभमें भाषण कर रहे थे। सन् १९२०-२१ में असहयोगका जो महान् आन्दोलन शुरू हुआ, अुसके साथ ही अुस वर्ष तिलक विद्यापीठकी स्थापना हुअी थी। यह संस्था सदासे स्वतंत्र रही है, जिसने न केवल सरकारी आर्थिक सहायताके बिना, बल्कि किसी युनिवर्सिटीके साथ आम तौर पर जुड़े हुअे सरकारके अधिकार-पत्र (चार्टर) के बिना भी अपना काम सदा चलाया है।

जॉअिंट सिलेक्ट कमेटीकी अेक सिफारिशमें कहा गया है कि अैसी किसी संस्थाको, जिसके पास सरकारका अधिकार-पत्र नहीं है, शिक्षाके क्षेत्रमें काम नहीं करने देना चाहिये। जहां तक मैं जानता हूं, अिस बिलमें अैसी संस्थाओंके लिअे जुर्माना वगैराकी भी व्यवस्था की गअी है, जो बिलकी अिस धाराका भंग करें। डॉ० मेहताबकी यह चेतावनी बिलकुल ठीक है कि अैसे कदमसे, हालांकि अिसका अुद्देश्य कुछ संस्थाओं द्वारा स्वतंत्रताके दुरुपयोगको रोकना है, बहुतसी अच्छी और प्रामाणिक संस्थाओंके साथ अन्याय होगा।

यहां यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकारको भी अैसा कानून बनानेकी जरूरत नहीं पड़ी थी। अुसने हमें गूजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद), तिलक विद्यापीठ (पूना), बिहार विद्यापीठ (पटना), जामिया मीलिया (दिल्ली) जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कायम करने और चलानेकी स्वतंत्रता दी थी। ये विश्वविद्यालय निश्चित रूपसे विदेशी हुकूमतके खिलाफ थे; लेकिन वे तब तक अपना काम कर सकते थे, जब तक देशके सामान्य कानून-कायदोंको तोड़ते नहीं थे।

शिक्षा पर अैसे सरकारी नियंत्रणके खिलाफ अेक दूसरा बुनियादी अेतराज भी है। स्वतंत्रता और प्रगतिके लिअे यह निहायत जरूरी है कि आन्तरिक विश्वास और धर्म, शिक्षा और कला, तथा मनुष्यके मत और सम्बन्धों पर किसी तरहका राजनीतिक या सरकारी नियंत्रण न हो। राज्यकी स्वीकृतिके बिना किसी विश्वविद्यालयको काम न करने देनेका विचार किसी प्रजाके स्वस्थ लोकतांत्रिक विकासकी दृष्टिसे बहुत संकुचित और प्रतिगामी विचार है। यह बड़े दुःखकी बात है कि हममें से कुछ लोग अैसे विश्वविद्यालयके बारेमें सोच ही नहीं सकते जिसे राज्यका अधिकार-पत्र प्राप्त न हो। स्वतंत्र संविधानके अधीन शिक्षा पर राज्यका अैसा नियंत्रण होना काफी बुरी बात है।

समान स्तरों वगैराके नाम पर यह बिल विश्वविद्यालयों पर भी नियंत्रण लगाना चाहता है और अिस तरह अुनके तंत्रको अेक सांचेमें ढालने तथा अुनकी प्रयोगकी स्वतंत्रताको खतम करनेका प्रयत्न करता है। अिस नियंत्रणको ग्रान्ट्स कमीशनके मातहत दी जानेवाली आर्थिक सहायताके प्रलोभनसे मजबूत बनाया जायगा। हम आशा करें कि अैसे समय, जब कि हमारा देश अपने नवनिर्माणकी अत्यंत नाजुक अवस्थामें से गुजर रहा है, केन्द्रमें जिन लोगोंके हाथमें राष्ट्रके कामकाजकी बागडोर है वे शिक्षा-संबंधी बातोंका दीर्घदृष्टिसे विचार करेंगे।

अन्तमें यह कहा जा सकता है कि अगर अैसा लगता हो कि विश्वविद्यालयोंको अुसी तरह सरकारका अधिकार-पत्र प्राप्त करना चाहिये जिस तरह, अुदाहरणके लिअे, व्यापार या व्यवसाय चलानेके लिअे सरकारी परवाना हासिल किया जाता है, तो अिस सम्बंधमें गांधीजीकी सलाह हमारे लिअे मददगार साबित

हो सकती है, जो अुन्होंने १९३७ में देशके सामने अपनी बुनियादी तालीमकी कल्पना रखते हुअे दी थी। यह सलाह अिसी अंकमें अन्यत्र 'स्वतंत्र भारतमें अुच्च शिक्षा' के नामसे अुद्धृत की गअी है।

हम जानते हैं कि गांधीजीने अिस सलाहके (विश्वविद्यालयोंके सुधारसे संबंध रखनेवाले) भागको आगे नहीं बढ़ाया और अपनेको राष्ट्रीय शिक्षाके पहले कुछ वर्षों तक ही मर्यादित रखा। लेकिन आज जब हम अपने शैक्षणिक पुनर्निर्माणकी दिशामें आगे बढ़ रहे हैं, तब गांधीजीकी अुस सलाहके अिस भागको याद करना अच्छा होगा। आज हमारे विश्वविद्यालयोंकी जो हालत है वह काफी बुरी है, और अुसमें जड़मूलसे परिवर्तन होना जरूरी है। यह काम स्वयं विश्वविद्यालय ही कर सकते हैं। राज्य केवल अुन्हें अनुकूल ढंगसे मदद कर सकता है। विश्वविद्यालयोंको अपना शासन खुद करना चाहिये। तभी अुनका ठोस और स्थायी सुधार हो सकता है। सिर्फ तभी अुनसे स्वतंत्र प्रजाके मस्तिष्क और आत्माके रूपमें विकास करने और काम करनेकी आशा रखी जा सकती है—जैसा कि किसी विश्वविद्यालयको वास्तवमें होना चाहिये।

४–८–'५५ मगनभाई देसाई

(अंग्रेजीसे)

दशमलव सिक्का

पेप्सूके अेक भाअी लिखते हैं:

"दशमलवके आधार पर भारत सरकार जो नया सिक्का चालू करने जा रही है, क्या आप अुसके हकमें हैं? क्या आप नहीं मानते कि यह परिवर्तन न केवल अवांछनीय है, प्रत्युत अिससे लाखों-करोड़ों ग्रामीणोंको बड़ी दिक्कतका सामना करना पड़ेगा?"

अिस विषयका कानूनी बिल फरवरी १९४६ में धारासभामें पेश हुआ था। तब 'हरिजनसेवक' (देखिये, ह० सेवक, २४-३-'४६, पृष्ठ ५३) में अिस विषयकी चर्चा गांधीजीने की थी। स्व० किशोरलालभाअीने भी की थी (देखिये, हरिजनसेवक, १२-५-'४६, पृ० १२५) और बताया था कि अिस विषयमें लोगों पर होनेवाले असर और अुनकी तकलीफोंको भूलना नहीं चाहिये। गांधीजीने अंतमें अिस विषयमें अैसा कहकर अिसका समारोप किया था कि आजकी अंग्रेज सरकार अपने देशमें भी दशमलव पद्धति नहीं मानती; हमारी पार्लमेन्ट बने तब हमारा अिस पर सोचना ठीक होगा। अिसलिअे अभी मैं अिस चर्चाको छोड़ता हूं।

अब हमारी पार्लमेन्ट अिसका विचार कर रही है। जो निश्चय होगा सो सही।

अिस विषयमें लोगोंकी राय पूछी जाय अैसे सूचनके जवाबमें पंडितजीने पार्लमेन्टमें कहा कि यह सवाल विज्ञानकी अणु वगैरा गूढ़ बातोंके जैसा है जिसका संबंध तद्विदोंसे है; अिसमें लोगोंसे पूछनेकी बात व्यर्थ होगी। मैं नहीं मानता कि दशमलवका सवाल अैसा है, या अुससे लोगोंका कोअी वास्ता नहीं हो सकता। यदि वास्ता न हो तो कानून क्यों बनाया जाय? और मुझे यह भी लगता है कि क्या ४, ८, १६ वगैरा कम विज्ञानसिद्ध हैं और १०,१०० वगैरा ज्यादा? रुपयेकी मोटी गिनती तो दस, सौ, हजार, लाख, करोड़, अित्यादि शतक पद्धतिसे ही चालू है। यहां पर जो सवाल है सो शास्त्रीय नहीं, व्यवहारका है। अिससे तरह तरहके पेचीदा सवाल पैदा होते हैं, जैसा कि किसीने पूछा—तीन पैसेके कार्डके नये दाम कितने सेन्ट होंगे? अिस तरह हर जगह व्यवहारमें नये दाममें भाव लगाना होगा। जहां अपूर्णांक संख्या आया करेगी, अुसको अगला पूर्णांक गिनकर चलनेसे प्रजाको करोड़ों रुपयेका ज्यादा खर्च होगा। अिन बातोंसे बड़ी झंझट होगी। और खासकर हमारी ९० फी सदी अज्ञान प्रजाको तो और भी बहुत तकलीफ होगी। आज वे लोग बिना पढ़े भी अपने कामसे पैसा गिनना सीख गये हैं। कल अुनका यह हाल होगा कि जहां तक अिस तरह नये सिक्केका गणित न सीख लें तब तक वे अपना व्यवहार ही नहीं चला सकेंगे। कहनेका मतलब यह है कि यह हेरफेर कोअी सादी बात नहीं होगी। अिसके संबंधमें हमारी भोली जनताका खयाल जरूर करना चाहिये। विज्ञान भी आखिरी अंजाममें जनताके सुख और फायदेके लिअे ही होना चाहिये—फिर वह जनता कैसी भी हो।

२–८–'५५ मगनभाई देसाई

आन्तरभाषा हिन्दीका प्रचार

ता० ३१–७–'५५ के दिन बलसाड़में श्रीमती अिन्दुबहन सेठकी अध्यक्षतामें हिन्दीके प्रमाणपत्र देनेका समारोह हुआ। अुस अवसर पर मैंने अुसके मंत्रीको जो अभिनन्दन भेजा था, अुसका अेक भाग नीचे अुद्धृत करता हूं:

"देशकी आन्तरभाषा हिन्दीके प्रचारका काम आज आगे बढ़ रहा है। अिस भाषाके स्वरूपके बारेमें भी धीरे धीरे यह स्पष्टता होती जा रही है कि वह भाषा अुत्तर भारतकी प्रदेशभाषासे अधिक व्यापक और सर्वग्राही होगी। अुसमें सम्प्रदाय, जाति या प्रान्तीयताका भेद नहीं होगा; और न अुसके शब्दों और शैलीके बारेमें कोअी संकुचितता होगी।

"अिसके अलावा, अब यह विचार भी स्पष्ट होता जाता है कि संपूर्ण शिक्षणका माध्यम स्वभाषा या प्रदेश भाषा होगी; अिसके साथ आन्तरभाषा हिन्दीका अनिवार्य शिक्षण ठेठ बी० अे० तक चलना चाहिये। यह विचार भी स्पष्ट होता जा रहा है कि राजकारोबारकी भाषा भी हर प्रदेशकी अपनी भाषा होगी।

"धारासभा और अदालतोंकी भाषा क्या हो, अिस प्रश्न पर विचार करनेके लिअे भी राष्ट्रपतिजीने संविधानकी रूसे अेक कमीशन नियुक्त किया है। अिस प्रकार हर दृष्टिसे हमारे देशका यह कार्य आगे बढ़ रहा है।

"अिन सबका आधार अिस बात पर है कि देशके लोग तथा विद्यार्थीगण भारतकी अिस आन्तरभाषाका अध्ययन अुत्साह और अुमंगसे करें। हमारे राज्यमें तो शिक्षणमें भी अिस भाषाको अनिवार्य स्थान दिया गया है। और युनिवर्सिटीने भी अुसे आगे जारी रखनेका निर्णय किया है। तथा सरकारी नौकरोंके लिअे भी राज्यने हिन्दीके ज्ञानको आवश्यक मानकर अुनके लिअे परीक्षाओंकी व्यवस्था की है।

"हमारी (गुजरात विद्यापीठकी ओरसे ली जानेवाली) परीक्षाओंकी व्यवस्था लोगोंमें अिस प्रचारकार्यको व्यवस्थित ढंगसे चलानेके साधनके रूपमें की गअी है। अुसमें खूब रस लेकर बलसाड़ केन्द्र जो कार्य कर रहा है, अुसके लिअे मैं अपना धन्यवाद भेजता हूं।

५–८–'५५ म० प्र०

(गुजरातीसे)

विषय-सूची

		पृष्ठ
स्वतंत्र भारतमें अुच्च शिक्षा	गांधीजी	१८५
रेलोंमें भ्रष्टाचार	म० प्र०	१८५
नये समाजकी नींव—ग्रामोद्योग	जे० बी० कृपालानी	१८६
बुनियादी शिक्षाकी कल्पना		१८६
नदियोंके बांध और बिजली	मगनभाई देसाई	१८८
लोकमान्य—आधुनिक भारतके निर्माता		१८९
'नींवमें से निर्माण'—४	मगनभाई देसाई	१९०
बालकोंके खिलाफ कीटाणु-युद्ध		१९१
शिक्षा और राज्यका नियंत्रण	मगनभाई देसाई	१९१
दशमलव सिक्का	मगनभाई देसाई	१९२
टिप्पणी:		
आन्तरभाषा हिन्दीका प्रचार	म० प्र०	१९२

www.vinoba.in